दस रुपये TEN RUPEES

न्यायालय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

२५५

पुनरीक्षण क्रमांक– / 2012 R-313-II/2012

श्री अमित भार्गव, अधि० द्वारा दिनांक 9-2-12 को प्रस्तुत।
9-2-12
ASO

1. लूटन पिता गोवर्धन पटेल,
2. सतुलिया बाई पत्नी गोवर्धन पटेल दोनो निवासी–ग्राम मेडियारास, तहसील व जिला अनूपपुर (म.प्र.) ———**आवेदकगण**

बनाम

1. संतोष कुमार पिता कमला प्रसाद पटेल,
2. कौशल प्रसाद पिता कमला प्रसाद पटेल,
3. रमेश कुमार पिता कमला प्रसाद पटेल,
4. यशोदा बाई पति कमला प्रसाद पटेल सभी निवासीगण–ग्राम मेडियारास, तहसील व जिला अनूपपुर (म.प्र.)
5. सुहागवती पुत्री कमला प्रसाद पटेल पत्नि तेरसू पटेल, निवासी–पिपरिया
6. उमा बाई पुत्री कमला प्रसाद पटेल पत्नि स्व. रामसिंह पटेल, निवासी–दुलहटा तहसील व जिला अनूपपुर (म.प्र.)

———**अनावेदकगण**

A Bhargava
9-2-2012
अमित भार्गव
(अधि०)

न्यायालय श्रीमान कलेक्टर महोदय, अनूपपुर द्वारा प्रकरण क्रं.–15/निग./2011–12 में पारित आदेश दिनांक 24/01/2012 के विरूद्ध म.प्र.भू राजस्व संहिता, (संशोधन) अधिनियम 2011 की धारा 50(1) के अधीन पुनरीक्षण।

माननीय महोदय,

आवेदकगण का पुनरीक्षण निम्नानुसार प्रस्तुत है :–

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-313-दो/2012 जिला अनूपपुर लूटन विरूद्ध संतोष

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
10-01-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से अभिभाषक श्री आर.डी. शर्मा उपस्थित। आवेदक के द्वारा कलेक्टर अनूपपुर के प्रकरण क्रमांक 15/निगरानी/2011-12 में पारित आदेश दिनांक 24-01-2012 के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन दिनांक 09-02-2012 को पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गई थी। 3. म.प्र. भू-राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 2018 का क्रियान्वयन राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-9/2018/सात/शा.6 भोपाल दिनांक 16-08-2018 के अनुक्रम में दिनांक 25-09-2018 से लागू हो गया है । उक्त अधिसूचना की धारा 54 के अनुसार – ''1. संशोधन अधिनियम 2018 के प्रवत्त होने के ठीक पूर्व पुनरीक्षण में लंबित कार्यवाहियां यथासंशोधित अधिनियम 2018 की धारा 50(1)(ख) एवं 54(क) के अधीन उन्हें सुने जाने तथा विनिश्चित किये जाने के लिये सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी, और यदि इस प्रयोजन के लिये अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी।'' 4. कलेक्टर के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 50(1)(ख) एवं 54(क) के अंतर्गत पुनरीक्षण हेतु सक्षम राजस्व अधिकारी संबंधित संभागीय आयुक्त है । अत: उक्त संशोधन के फलस्वरूप इस न्यायालय में प्रस्तुत पुनरीक्षण आवेदन पर आयुक्त शहडोल संभाग शहडोल के द्वारा ही पुनरीक्षण याचिका का निराकरण किया जाना होगा । 5. अत: उक्त नवीन संशोधन के अनुक्रम में पुनरीक्षण याचिका	

	के निराकरण हेतु प्रकरण आयुक्त शहडोल संभाग शहडोल को अंतरित किया जाता है । आवेदक दिनांक 18-03-2019 को इस आदेश की सत्यप्रतिलिपि लेकर आयुक्त शहडोल संभाग शहडोल के न्यायालय में प्रस्तुत हो । 6. कार्यालय का दायित्व होगा कि उक्त दिनांक से पूर्व संबंधित अभिलेख आयुक्त शहडोल संभाग शहडोल के न्यायालय में भेज जाये । 7. उभय पक्ष अभिभाषक को नोट कराया जाये । (आर.के. जैन) 10.1.19 सदस्य	